



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 16.09.22

थाना छपरौली पुलिस व पीआरवी-2982 ने थाने के मु0अ0सं0 276/22 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए दो मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.9.22 थाना छपरौली पर वादी श्री सुमित वत्स पुत्र दिनेश शर्मा निवासी ग्राम आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि 14/15.9.22 की रात्री 1.30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा मेरे पिता के दो मोबाइल फोन चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 276/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस व पीआरवी-2982 द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 276/22 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये हुए दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा इस आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- टिन्कू पुत्र किशोर निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- निशान्त पुत्र नरेश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी का मोबाइल फोन कीपैड आईटेल कम्पनी ।
- चोरी का एक मोबाइल फोन सैमसंग जे7 कम्पनी ।

(सम्बन्धित मु0अ0सं0 276/22 धारा 380/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश त्यागी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 270 अमर राणा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4- का0 150 तपन चौधरी पीआरवी 2982
5. का0 231 मनीष कुमार पीआरवी 2982



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 16-09-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 832/22 धारा 323/504/506/354/354बी/452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 832/22 धारा 323/504/506/354/354बी/452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 147/148/149 का होना नहीं पाया गया, एवं धारा 452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का होना पाया गया है अतः अभियोग में धारा 452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट की बढौत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- जयन्त पुत्र अशोक निवासी ग्राम बिजरौल थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 2- अर्चित उर्फ शुभम उर्फ काला पुत्र अशोक निवासी ग्राम बिजरौल थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0- श्री जगवीर सिंह थाना बडौत
- 2- है0का0 111 मुन्नालाल थाना बडौत
- 3- हो0गा0 324 अरविन्द थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 16-09-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- प्रेम पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र यादव थाना बडौत ।

2- का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत ।

3- का0 262 कवित थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 207/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से में चोरी की हुई चारा काटने वाली विद्युत मशीन की मोटर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री अजय कुमार पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 13.09.2022 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से चारा काटने वाली विद्युत मशीन की



मोटर चोरी कर ली । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु०अ०सं० 207/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 207/2022 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से में चोरी की हुई चारा काटने वाली विद्युत मशीन की मोटर बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- मन्जीत पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई चारा काटने वाली विद्युत मशीन की मोटर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद।

2.745 गुलवीर सिंह।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/2022 धारा 504/354ख/506
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 185/2022 धारा 504/354ख/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.जसवीर पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० युवनीश कुमार
2. है०का० 229 चमन सिंह



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 16.09.2022

थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-शकील पुत्र रशीद निवासी मौ० माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री सत्यम जंघाला थाना छपरौली
- 2.का० 115 पवन नागर थाना छपरौली